



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264794
CG-DL-E-18072025-264794

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3218]
No. 3218]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

आयकर

का.आ. 3288(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197क की उपधारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के उपबंध अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी) द्वारा प्राप्त भुगतानों पर लागू नहीं होंगे। उपर्युक्त अधिसूचना, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 1972 को जारी अधिसूचनासंख्या यूआई/222(66)/71 के साथ पठित संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. 275/27/2025-आईटी(बी)]

रुबल सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th July, 2025

INCOME-TAX

S.O. 3288(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that the provisions of Chapter XVII of the said Act, shall not apply to payments received by International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT). The above notification is subject to the conditions specified in the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 read with Notification No. UI/222(66)/71 dated the 28th October, 1972, issued by the Ministry of External Affairs, Government of India.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 275/27/2025-IT(B)]

RUBAL SINGH, Dy. Secy.